न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः प्रीति मीणा, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0——558 / 2025 (जीसीएनएस नं.2025 / 227)

प्रविष्टि दिनांक ——24.09.2025

1. नन्दाराम पुत्र छोटु जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. पुनीराम पुत्र छोटु जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. बदान पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. नन्ना पुत्री पाच्या जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. ननमर पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
6. राजूलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
7. रामबाई पत्नी शंकर जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
8. लक्ष्मण सिंह पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
9. लड्डू पुत्र शंकर जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
10. सीताराम पुत्र शंकर जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
11. कजोडमल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
12. कैलाशी पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
13. कान्ती पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
14. गंगाधर पुत्र महादेव जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
15. गंगासहाय पुत्र भोरिया जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
16. गिरधारी पुत्र पाच्या जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

प्रार्थीगण /आवेदक

बनाम

1. कनलेश पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. प्रेम पुत्री रामसहाय जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. फुल्या पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. बदान पुत्री रामसहाय जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. बल्ला पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
6. बीरबल पुत्र पुनीराम जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
7. मुकेश पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
8. महादेव पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
9. राजन्ती पत्नी रामसहाय जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
10. राजुलाल पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
11. रामोती पत्नी रामनिवास जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
12. गंगासहाय पुत्र गणपत जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
13. लल्लू पुत्र रंगा जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
14. लल्ली पुत्री हरजीराम जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
15. लाडा पत्नी पुनीराम जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
16. श्योजी पुत्र गणपत जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
17. श्योनारायण पुत्र रंगा जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
18. हीरालाल पुत्र रंगा जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
19. गंदोडी पुत्री हरजीराम जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
20. गोपाल पुत्र रामसहाय जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
21. गोविन्द पुत्र हरजी जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
22. धापू पत्नी हरसहाय जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
23. नन्दराम पुत्र हरजी जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टॉक राज.
24. पप्पू पुत्र हरजी जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टॉक राज.
25. प्रताप पुत्र हरजी जाति मीणा निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टॉक राज.
~~26. कुसी पत्नी गणपत जाति मीणा निवासी महासजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.~~
~~27. कल्याणी पुत्री गणपत जाति मीणा निवासी महासजकंवरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज.~~
28. तहसीलदार साहब तहसील निवाई जिला टोंक राज.

अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
बाबत प्रदान किये जाने रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा पटवार हल्का दतवास द्वितीय तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है जो भाई बंटवारे में प्रार्थीगण के हिस्से में आयी हुई है जिस पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार एकमात्र काबिज काश्तकार होकर भूमि को मौके पर काश्त कर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। यह कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त भूमि पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 14 में स्थित आम रास्ते के बाद अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 0.9358 हैक्टेयर व 21 रकबा 1.2141 हैक्टेयर वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा की दक्षिणी मेर से होकर पूरब से पश्चिम 20 फीट चौडे रास्ते से होकर अपने खेतो में आते रहे है व अर्सा दराज पूर्व से उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। जो मौके 20 फिट मौके पर रास्ता चालू है। यह कि प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आने जाने हल बैल कूली गाडी घोडा ट्रेक्टर आदि लाने व ले जाने के रूप में उक्त रास्ते का लगातार उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व शीट में भी किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रार्थीगण न्यायालय हाजा के आदेशानुसार नियमानुसार शुल्क बतौर डी.एल.सी जमा करवाने हेतु तैयार है तथा प्रार्थीगण के पास अपनी जोत में आने जाने के एवं काश्त करने हेतु उक्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हे रास्ते का राजस्व शीट में अंकन किये जाने से किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा व क्षति कारित होने की कोई सम्भावना भी नही है। यदि रास्ते इन्द्राज नही किया तो प्रार्थीगण अकथनीय अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी। इसलिये प्रार्थीगण के खेत पर जान हेतु रास्ते का उक्तानुसार इन्द्राज किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के रूप में नियमानुसार सरकारी डी.एल. सी रेट के अनुसार राशि अदा करने हेतु तेयार व तत्पर है। यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड की मौका स्थिति हेतु नक्शा ट्रेस एवं समस्त राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा में कृषि प्रयोजनार्थ आने जाने हेतु आम रास्ते की भूमि खरारा नम्बर 14 के बाद अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 19 व 21 की दक्षिणी मेर से होकर पूरब से पश्चिम 20 फीट चौडे रास्ते का राजस्व शीट में दर्ज इन्द्राज करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थनापत्र के साथ अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी व नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 10, 12 ता 21 व 23 ता 25 की ओर से अधिवक्ता श्री कौशल किशोर जाट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण सं0 11, 24 व 26 ता 27 बाद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निवाई की ओर से पत्रांक भू0अ0/17038 दिनांक 07.11.25 को मौका रिपोर्ट मय दस्तावेजात के प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थीगण सं0 1 ता 10, 12 ता 21 व 23 ता 25 की ओर से की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, शामिल पत्रावली है। जवाब में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :– ख0नं0 19 व 21 में से होकर अपने खातेदारी भूमि 29 में जाने के तथ्य गलत है। प्रार्थीगण अपने स्वयं की खातेदारी भूमि के लगवा स्थित ख0नं0 23 व 16 की भूमि का रास्ते हेतु उपयोग/उपभोग करते हैं। ख0नं0 16 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जो गै0मु0 रास्ता ख0नं0 14 के सटवा स्थित है लेकिन प्रार्थीगण ने तथ्य छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ख0नं0 16, 23, 24, 25 व 27 के खातेदार काश्तकार है। तथा ख0नं0 16 में जमाबंदी में 0.1897 है0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तथा शेष भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि गै.मु. रास्ता ख0नं0 14, 16 के सटवा स्थित है। इस कारण प्रार्थीगण धारा 251ए टिनेन्सी एक्ट में विहित प्रावधानों के तहत रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। मौके पर वैकल्पिक मार्ग मौजूद है। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रार्थीगण को यदि रास्ता उपलब्ध करवाया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी क्षति व असुविधा कारित होगी। तथा बिना वजह मुकदमा बाजी बढेगी। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमावे।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब के साथ में असल जमाबंदी खाता सं0 52, 54, 61 व 65 नक्शाशीट प्रस्तुत किये गये।

तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि आराजी ख0न०–29 रकबा 0.6070 है किस्म– चाही–3, बारानी–2 वाके ग्राम – महाराजकवंरपुरा में खातेदार अणची पत्नि रामजीवन जाति मीणा वगै0 के वर्तमान जमाबंदी अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह है कि वादी की खातेदारी भूमि आराजी ख0नं0 29 पर पहुंचने हेतु रास्ता निकटतम पहुंच मार्ग, ख०न०– 14 रकबा 0.2023 है0 किस्म गै0मू0 रास्ता से लगवा स्थित खातेदारी आराजी ख0न0–19 रकबा–0.9358 है0 जो कि कमलेश पुत्र रामसहाय जाति–मीणा वगै0 तथा आराजी ख0न0–21 रकबा 1.2141 है0 जो कि कमलेश पुत्र रामसहाय जाति–मीणा वगै0 साकिन महाराजकुंवरपुरा, से निकटतम दूरी वाले रास्ते की शर्त को पूरा करता है। मौके पर उक्त दोनो आरानियात के चारो तरफ तारबंदी हो रखी है। यह है कि ख0न0 19 रकबा 0.9358 हैं0 में से रकबा 0.04 है0 तथा आराजी ख0न0 21 रकबा 1.2141 है0 मे से रकबा 0.084 है. भूमि, वादी की खातेदारी भूमि आराजी ख0न० 29 तक पहुंचने हेतु निकटवर्ती सलंग्न नजरी नक्शा ट्रेस में अंकित कर प्रस्तावित कर दी गयी है। यह है कि प्रस्तावित निकटवर्ती/समीप रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

में कोई कच्चा पक्का निर्माण, गै0मु0 चाह व चोरवैल नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटवर्ती वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

इसके पश्चात प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 एवं 251 (क) पर बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 29 रकबा 0.6070 हैक्टेयर वाके ग्राम महाराजकंवरपुरा पटवार हल्का दतवास द्वितीय में पहुंचने हेतु तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिलवाने बाबत् निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस शुरू करने से पूर्व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 26 व 27 फौत हो चुके हैं, जिनके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश फरमावे। जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में प्रार्थना पत्र बाबत् अप्रार्थी सं0 26 व 27 का नाम डिलिट फरमाये जाने पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी सं0 26 व 27 के वारिसान पहले से ही रिकॉर्ड पर पक्षकार हैं इसलिए अप्रार्थी सं0 26 व 27 का नाम डिलिट फरमाया जावे। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमति से अप्रार्थी सं0 26 व 27 का नाम लाल स्याही से डिलिट फरमाया जाने की आदेश पारित किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया की प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी भूमि ख0नं0 29 में जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 19 व 21 से रास्ता दिलाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि ख0नं0 29 के लगवा ख0नं0 23 एवं ख0नं0 16 स्वयं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। ख0नं0 16 गै0मु0 रास्ता ख0नं0 14 के लगवा स्थित है। एवं ख0नं0 16 में भी 0.1897 है0 भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि 23 व 29 में आ–जा रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध द्वेषतापूर्वक नियत एवं अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र 251ए न्यायालय के समक्ष पेश किया। अतः तथ्य छुपाकर न्यायालय को गुमराह कर पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 एवं 251 (क) खेतो के रास्ते खुलवाने तथा निजी सुखाचार का प्रावधान प्रदान करता है। इस धारा के अनुसार खातेदार के पास अपनी भूमि मे जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने पर सुखाचार के तहत नजदीकी सरकारी रास्ते से अपनी भूमि की पहुच तक अन्य खातेदारी की भूमि मे से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। **परंतु इस प्रकरण में अप्रार्थीगण के जवाब के साथ संलग्न जमाबंदी खाता सं0 61 एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 29 जिसके लिए रास्ता चाहा गया है के लगवा ही प्रार्थीगण की अन्य भूमि ख0नं0 23 व 16 स्थित है। ख0नं0 16 गै0मु0 रास्ता ख0नं0 14 के लगवा स्थित है एवं प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण की जिस भूमि ख0नं0 19 व 21 से रास्ता चाहा गया है वह भी गै0मु0 रास्ता ख0नं0 14 के लगवा स्थित है। तथा ख0नं0 16 में भी 0.1897 है0 भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।** प्रकरण में अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 19 व 21 से रास्ता चाहा गया है, जबकि प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 16 में 0.1897 है0 भूमि गै0मु0 रास्ता दर्ज होकर गै0मु0 रास्ता ख0नं0 14 के लगवा स्थित है। एवं ख0नं0 16 प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 23 के लगवा स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 29 के लगवा स्थित है। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो एवं उदेश्य के प्रावधानो की परिधी मे नहीं होने एवं न्याय संगत नहीं होने की दृष्टि से अस्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने रास्ता, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (दौंक)

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
निवाई